न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-35/2016

धुन्नीलाल पुत्र कालु जाति जाट निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- मनकोरीदेवी पत्नी
2- हरिराम पुत्र
3- महेश पुत्र
4- सुभाष पुत्र
5- कमला पुत्री
6- सुभिता पुत्री

रामू उर्फ रामूराम जाति जाट निवासीगण नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

7- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 12-6-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

उपस्थिति-

श्री हरिप्रसाद सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 30.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा घोषणार्थ रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नवलडी के खाता सं0- 417 की आराजी ख0नं0 16 रकबा 4.07 हैक्टर, ख0नं0 497 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 630 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 631 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0नं0 634 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता-5 रकबा 4.76 हैक्टर वादीगण

पिता/पति राम उर्फ रामूराम की खातेदारी में दर्ज है । वादीगण का पिता/पति रामू उर्फ रामूराम करीब 23 साल पूर्व बिना किसी को बताऐ अपने घर से लापता हो गया जिसकी पुलिस जांच में भी राम को 23 वर्ष से गुमशुदा माना है ।उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर वादीगण ही काबिज है जिसका रेकार्ड दुरूस्त करने कायह दावा पेश किया जिसकी स्वीकृति का अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया है ।राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी आज भी रामराम के नाम दर्ज है ।अतः रामूराम के स्थान पर उक्त आराजी पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने वाद वादीगण बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली का है । जबाब दावा आने पर तनकीयात कायम न कर आदेश पारित किया है ।दावे में वादीगण ने हरआम खास को पक्षकार नहीं बनाकर आदेश पारित किया है । रामू उर्फ रामूराम की गुमशुदी की रिपोर्ट दिनांक 4-2-2013 को पुलिस थाना नवलगढ में दर्ज करवाई गई । वादीगण ने दावा अदालत मातहत में जनवरी 2014 में किया गया । गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होने के 7 वर्ष पश्चात सिविल न्यायालय से मृत्यु की घोषणा करवानी चाहिये । सिविल न्यायालय से मृत्यु घोषित करवाकर ही डिक्री प्राप्त कर आगे की कार्यवाही करनी चाहिये थी । अदालत मातहत ने बिना अधिकार व बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय एवं डिक्री पारित की है ।अपीलान्ट के पिता कालू तथा रामूराम का पिता गोपाल दोनो आपस में सगे भाई थे ।तथा शामिल में ही काश्त करते थे । जिसमें विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 से 6 के पिता/पति रामूराम का था । कालू तथा गोपाल शामिल में काश्त करता था तथा अन्य भाईयों को अलग से आराजी दे रखी थी ।विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है ।मौके पर आज भी आधे हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा है ।इस कारण अपीलान्ट विवादित आराजी का हितबद्ध पक्षकार है जिससे यह अपील [illegible] धारा 96 [illegible] के तहत पेश की है ।

तथा अपील के साथ धारा-5 अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2027 से 2030, 2043, 2045 से 2048 में विवादित आराजी गोपाल पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी सं0- 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2061 से 2064 में विवादित आराजी रामू पुत्र गोपाल के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी स0- 2019 से 2022 में ख0नं0 4 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 139 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 346/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता-3 रकबा 24 बीघा । बिस्वा की खातेदारी गोपाल पुत्र हरजी कौम जाट तथा उप कृषक कालु पुत्र हरजी अर्थातअपीलान्ट का पिता दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 4 मी0 से नया ख0नं0 15 रकबा 4.07 हैक्टर, ख0नं0 346 मीन का नया नम्बर 2076/422 रकबा 0.02 हैक्टर, गत ख0नं0 346/1 से नये ख0नं0 528 रकबा 0.04 हैक्टर, तथा नया ख0नं0 529 रकबा 0.51 हैक्टर, गत ख0नं0 346/980 से हाल ख0नं0 532 रकबा 0.12 हैक्टर बने हैं । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2045 से 2048 में गत ख0नं0 15 से हाल ख0नं0 16 रकबा 4.07 हैक्टर, गत ख0नं0 2076/422 से हाल ख0नं0 497 रकबा 0.02 हैक्टर, गत ख0नं0 528 से हाल ख0नं0630 रकबा 0.04 हैक्टर, गत ख0नं0 529 से हाल खसरा नं0 631 रकबा 0.51 हैक्टर एवं गत खसरा नम्बर 532 से हाल ख0नं0 634 रकबा 0.12 हैक्टर बने है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी गोपाल पुत्र हरजी की खातेदारी में दर्ज है जिसका उप कृषक कालु पुत्र हरजी दर्ज है । अर्थात यह आराजी अपीलान्ट के पिता कालू के भाई गोपाल की खातेदारी में दर्ज है जिसका उपकृषक अपीलान्ट

का पिता कालू दर्ज है अर्थात इस आराजी पर कब्जा अपीलान्ट के पिता का सम्वत 2019 से 2022 में दर्ज है ।वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी को अपने पूर्वज गोपाल की खातेदारी में होना तथा विरासत में अपने पिता रामराम को प्राप्त होना दर्ज कर यह दावा पेश किया जिसमें तहसीलदार को पक्षकार बनाया विवादित आराजी के बाबत यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी पूर्व में गोपाल की खातेदारी में दर्ज रही है। जिसका उप कृषक अपीलान्ट का पिता कालू दर्ज रहा है ।इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता कालू एवं उसके भाई गोपाल का इस आराजी पर बराबर बराबर कब्जा काश्त रहा है जो जमाबन्दी सं0-2019 से 2022 से स्पष्ट है ।इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी का हितबद्ध पक्षकार है । जिसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित एवं विधिक मानते हैं ।तथा अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से अपील में हुये बिलम्ब को भी क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-6-2015 खारिज किया जाता है तथा इस आदेश से रेकार्ड में परिवर्तन हुआ है तो दावे के पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे । प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलान्ट को अदालत मातहत में प्रतिवादी दर्ज कर उसे सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 7-6 -2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.4.2018 को सुनाया गया ।

30/4/18

भंवरलाल मेहरड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी